

छत्तीसगढ़ शासन,  
गृह (सामान्य) विभाग,  
मंत्रालय,  
महानदी भवन, नया रायपुर

—00—

क्रमांक 8859 / 1796 / गृह-दो / विविध / 2013,

रायपुर, दिनांक 23 / 07 / 2013

प्रति,

सचिव,  
छत्तीसगढ़ शासन,  
खनिज साधन विभाग,  
मंत्रालय, नया रायपुर

Mr. Patil  
25/7/13

विषय :- Recommendation of the Central Coordination-Cum-Empowered Committee (CEC) on Mineral Development and Regulation के संबंध में।  
संदर्भ :- आपका पत्र क्र. एफ 7-23 / 2012 / 12, दिनांक 10.05.2013

—00—

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र का कृपया अवलोकन करने का कष्ट करें। संदर्भित पत्र द्वारा राज्य में "Special anti-extortion and anti-money laundering Cell" गठित करने अनुशांसा के संबंध में दिये गये निर्देशों के परिपालन में गैर कानूनी खनन ठेकेदारों, वन ठेकेदारों तथा नक्सलियों/उग्रवादियों के मध्य गैर कानूनी गठजोड़ की रोकथाम हेतु "Special anti-extortion and anti-money laundering Cell" का गठन किया गया है। उक्त सेल गठित आदेश की छायाप्रति संलग्न प्रेषित है।

क्रमांक 1158  
स. ख. ति. 20  
दिनांक 24.7.13

W.S. (MRD)

कृपया संवर्धित नस्ली  
पर प्रतिक्रिया करें

24/07/13

Imp  
25/7/13

23/7/13

(सुनील विजयवर्गीय)

अवर सचिव,  
छत्तीसगढ़ शासन,  
गृह विभाग, मंत्रालय, रायपुर

क्रमांक/पत्र क्रमांक  
दिनांक  
25/7/13  
2868  
छत्तीसगढ़ शासन

पुलिस मुख्यालय, छत्तीसगढ़  
विभागाध्यक्ष भवन, नया रायपुर

: आदेश :

गैर कानूनी खनन ठेकेदारों, वन ठेकेदारों तथा नक्सलियों/उग्रवादियों के मध्य गैर कानूनी गठजोड़ की रोकथाम हेतु निम्नानुसार "special anti-extortion and anti-money laundering cell" का गठन किया जाता है :-

- 1- श्री पी.एस. गौतम, भापुसे, उप पुलिस महानिरीक्षक, अअवि, पुमु, रायपुर
- 2- श्री विरेन्द्र सतपथी, उप पुलिस अधीक्षक, अअवि, पुमु, रायपुर
- 3- निरीक्षक पी.एल. नौटियाल, अअवि, पुमु, रायपुर

हस्ता/-

(रामनिवास)

पुलिस महानिदेशक  
छत्तीसगढ़, रायपुर

क्रमांक- पुमु/अअवि/निस/11/2013

रायपुर,

दिनांक 17.06.2013

प्रतिलिपि :- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

- 1- अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, गुप्तवार्ता/एसआईबी, पुमु, रायपुर।
- 2- अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, छसबल/नक्स.अभि./एसटीएफ/सीटीजेडब्ल्यू पुमु, रायपुर।
- 3- समस्त रेंज पुलिस महानिरीक्षक, छत्तीसगढ़।
- 4- समस्त जिला पुलिस अधीक्षक, छत्तीसगढ़।
- 5- पुलिस अधीक्षक, रेल, रायपुर।
- 6- सर्वसंबंधित अधिकारीगण।

हेतु-पुलिस महानिदेशक  
छत्तीसगढ़, रायपुर